पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार में

2023 का आपराधिक विविध सं. 54413

मामला सं.- 505 वर्ष- 2021 थाना-पटना शिकायत मामला जिला-पटना

==========

शंकर कुमार जागीरथ चौधरी के पुत्र गांव-तलीमपुर, गोपीनाथ, पी. एस.-बाढ, जिला-पटना के निवासी हैं।

.....याचिकाकर्ता

बनाम्

1. बिहार राज्य

2. संजय प्रसाद स्वर्गीय नंद किशोर प्रसाद के पुत्र, गाँव के निवासी-पिपलटाल पक्का कुआँ, वार्ड संख्या 20, बाढ बाजार, पो और पी. एस.-बाढ, जिला-पटना

.....प्रतिवादीगण

==========

दंड प्रक्रिया संहिता - धारा 438

भारतीय दंड संहिता - धारा 323, 341, 406, 420, 504, 506 धारा 34 के साथ

आवेदक द्वारा गिरफ्तारी पूर्व जमानत की प्रार्थना - भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 323, 341, 406, 420, 504 और 506 के तहत दंडनीय अपराधों के लिये दर्ज 2021 के शिकायत मामले से 505(सी.) के संबंध में गिरफ्तारी-पूर्व-जमानत की प्रार्थना की गयी है।

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पिनाक पानी मोहंती बनाम भारत संघ और अन्य दिनांक 29.03.2023 को पारित आदेश पर भरोसा किया गया।

निर्णित किया गया कि याचिकाकर्ता ने सहकारिता मंत्रालय की 20 जून 2023 की अधिसूचना में निर्धारित सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने में शिकायतकर्ता को सभी सहायता प्रदान करने का वचन दिया है और साथ ही **2022 की रिट याचिका(सी.) 191 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार और दो सप्ताह की अवधि के भीतर नीचे दी गई अदालत के समक्ष पोर्टल पर अपलोड किये गये दावा प्रपत्र का प्रिंट आउट प्रस्तुत करने का बीड़ा उठाया** है - अस्थायी जमानत का लाभ दिया गया तथा निचली अदालत को निर्देश दिया गया कि याचिकाकर्ता यदि उपरोक्त शर्तों को पूरा कर देता है, तो अस्थायी जमानत को पूर्ण बना दिया जायेगा।

[पारा 2, 3 तथा 11]

पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार में

2023 का आपराधिक विविध सं. 54413

मामला सं.- 505 वर्ष- 2021 थाना-पटना शिकायत मामला जिला-पटना

==========

शंकर कुमार जागीरथ चौधरी के पुत्र गांव-तलीमपुर, गोपीनाथ, पी. एस.-बाढ, जिला-पटना के निवासी हैं।

.....याचिकाकर्ता

बनाम्

1. बिहार राज्य

2. संजय प्रसाद स्वर्गीय नंद किशोर प्रसाद के पुत्र, गाँव के निवासी-पिपलटाल पक्का कुआँ, वार्ड संख्या 20, बाढ बाजार, पो और पी. एस.-बाढ, जिला-पटना

..... प्रतिवादीगण

==========

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता के लिएः श्री मनीष कुमार सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री कुंदन कुमार, अधिवक्ता

प्रतिवादीगणों के लिएः श्री अजित कुमार, एपीपी

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री पुरनेंदु सिंह

मौखिक आदेश

2 23-08-2023

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मनीष कुमार सिंह और उनके सहायक श्री कुंदन कुमार, अधिवक्ता और राज्य के लिये श्री अजीत कुमार को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 323, 341, 406, 420, 504 और 506 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज 2021 के शिकायत मामले सं. 505 (सी) के संबंध में गिरफ्तारी पूर्व जमानत चाहता है।

3. अभियोजन पक्ष की कहानी, संक्षेप में, यह है कि याचिकाकर्ता सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (यहाँ बाद में 'सोसाइटी' के रूप में संदर्भित किया जाता है) का एजेंट है और उसने शिकायतकर्ताओं सहित जमाकर्ताओं की परिपक्व राशि का भुगतान नही किया है जो सोसायटी द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार, पॉलिसी सं. 00050569 के तहत परिपक्वता लाभ भुगतान के संबंध में (जीवन बीमित) ग्राहक (शिकायतकर्ता) के जीवन पर (जैसा कि अनुलग्नक-'3' में निहित है) है। एजेंट कोड (याचिकाकर्ता) का विवरण उक्त पॉलिसी बॉन्ड सं. 60002296 में उल्लिखित है।

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील का कहना हैं कि याचिकाकर्ता स्वीकार करता है कि जब शिकायतकर्ता द्वारा पॉलिसी खरीदी गई थी तो वह प्रासंगिक समय पर सोसायटी का एजेंट था, हालांकि परिपक्वता की पूरी राशि शिकायतकर्ता को वापस नहीं की गई थी। भा. प्र. वि. बोर्ड द्वारा सोसायटी के खाते को फ्रीज कर दिया गया था और कई मुकदमे दायर किए गए थे, जिससे जमाकर्ताओं को परिपक्व राशि के पुनः

भुगतान में देरी हुई। सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के वैध बकाया के वितरण से संबंधित मामले पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया था **2022 की रिट याचिका (सी) सं. 191 में (पिनाक पानी मोहंती बनाम भारत संघ और अन्य)** और अंतर्वर्ती आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 29.03.2023 पर पारित किया गया है, जिसमें एक निर्देश पारित किया गया है कि "सहारा-सेबी रिफंड खाते" में पड़ी कुल राशि रु. 24,979.67 करोड़ में से रु. 5000 करोड़ को सहकारी समितियों के केंद्रीय निबंधक को हस्तांतरित किया जाए, जो कि सहकारी समितियों के सहारा समूह के जमाकर्ताओं के वैध बकाया के सापेक्ष इसे वितरित करेंगे, जिसका भुगतान वास्तविक जमाकर्ताओं को सबसे पारदर्शी तरीके से और उचित पहचान पर और उनकी जमा राशि और उनके दावों का प्रमाण जमा करने पर किया जाएगा और सीधे उनके संबंधित बैंक खातों में जमा किया जाएगा।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में, सहकारिता मंत्रालय ने 20 जून 2023 की अधिसूचना के माध्यम से परिपक्व राशि का पुनः भुगतान करने का निर्देश दिया है। विद्वान वकील ने जमानत आवेदन के **अनुलग्नक '5'** के माध्यम से उक्त अधिसूचना को रिकॉर्ड में लाया है। वह कहते है कि, इसके अनुपालन में, याचिकाकर्ता को परिपक्व राशि का भुगतान किया जाएगा।

6. उन्होंने आगे कहा कि जहां तक याचिकाकर्ता के खिलाफ हमले और दुर्व्यवहार के आरोप का संबंध है, याचिकाकर्ता पर दबाव बनाने के लिए भी ऐसा ही आरोप लगाया गया है।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह सूचित किया गया है कि क्षेत्रीय प्रमुख, सहारा इंडिया, बिहार ने राज्य में सभी प्रबंधकों और विभिन्न शाखाओं के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सभी भुगतान प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाएँ एवं माननीय सर्वोच्च

न्यायालय के निर्णय के साथ-साथ केंद्र सरकार की अधिसूचना के आलोक में प्रामाणिक जमाकर्ताओं को उनकी परिपक्व राशि प्राप्त करने में सहायता करें जैसा कि अनुलग्नक-'5' में निहित है।

8. विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान मामले में, शुद्ध देय राशि रु 51,875/- है और याचिकाकर्ता ने पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेजों और कागजातों को अपलोड करने में शिकायतकर्ता को उचित सहायता प्रदान करने का बीड़ा उठाया है। विद्वान वकील ने सोसायटी के हेल्प लाइन नंबर के साथ-साथ जमाकर्ताओं को परिपक्व राशि वापस पाने में आवश्यक प्रक्रिया भी बताई है। सभी आम जनता के उद्देश्य के लिए इसे आगे फिर से प्रस्तुत किया गया हैः

"सहारा इंडिया सहकारी धनवापसी प्रक्रिया

1. पोर्टल खोलेंः HTTPS// mocrefund.crcs.gov.in
2. पोर्टल के होम पेज पर जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करें।
3. आधार संख्या और मोबाइल संख्या दर्ज करें।
4. सेंड ओ. टी. पी. बटन पर क्लिक करें और ओ. टी. पी. दर्ज करें।
5. पंजीकरण के बाद, लॉगिन बटन पर क्लिक करें।
6. फिर से आधार संख्या और मोबाइल संख्या दर्ज करें और ओ. टी. पी. दर्ज करें।
7. नियम और शर्तों को पढ़ने के बाद 'मैं सहमत हूं' पर क्लिक करें।
8. अपनी जन्म तिथि, अपने बैंक का नाम आदि के विवरण की जांच करें।

9. दावा प्रपत्र को जमा प्रमाण पत्र/पासबुक से भरें।

10. सोसायटी का नाम, सदस्यता संख्या, जमा राशि दर्ज करें।

11. प्राप्त ऋण या आंशिक भुगतान की स्थिति दिखाएँ।

12. पैन का विवरण दें, यदि दावे की राशि रु. 50,000/- से अधिक है।

13. अपनी सभी जमाओं के सभी विवरण दर्ज करें क्योंकि दावा केवल एक बार दायर किया जा सकता है। सत्यापन, दावा प्रपत्र डाउनलोड करें।

14. अपनी नवीनतम तस्वीर चिपकाएँ और डाउनलोड किए गए फॉर्म पर अपने हस्ताक्षर करें।

15. दावा प्रपत्र अपलोड करें।

पटना हेल्प लाइन नंबरः0612-2532357."

9. याचिकाकर्ता ने दो सप्ताह की अवधि के भीतर पोर्टल पर दावा प्रपत्र अपलोड प्रस्तुत की सभी औपचारिकताओं को पुरा करने में शिकायतकर्ता को पूर्ण सहयोग प्रदान करने का बीड़ा उठाया है और उसके बाद वह नीचे दी गई अदालत के समक्ष अपलोड किए गए दावा प्रपत्र का प्रिंट आउट प्रस्तुत करेगा। इन आधारों पर, याचिकाकर्ता जमानत पर रिहा होने की मांग करता है।

10. राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान एपीपी ने गिरफ्तारी-पूर्व जमानत का विरोध किया है।

11. पक्षों की ओर से की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों के साथ-साथ इस तथ्य पर विचार करने के बाद कि याचिकाकर्ता ने सहकारिता मंत्रालय की 20 जून, 2023 की

अधिसूचना में निर्धारित सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने में शिकायतकर्ता को सभी सहायता प्रदान करने का वचन दिया है और साथ ही 2022 की रिट याचिका (सी) सं. 191 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार और दो सप्ताह की अवधि के भीतर नीचे दी गई अदालत के समक्ष पोर्टल पर "अपलोड किए गए दावा प्रपत्र" का प्रिंट आउट प्रस्तुत करने का बीड़ा उठाया है, यह अदालत नीचे दी गई अदालत को 2021 के शिकायत मामले सं. 505 (सी) के संबंध में याचिकाकर्ता को अस्थायी जमानत पर रिहा करने का निर्देश देता है और दो सप्ताह की उपरोक्त अवधि के भीतर सभी शर्तों को पूरा करने पर, नीचे दी गई अदालत को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 (2) के तहत निर्धारित नियमों और शर्तों पर अस्थायी जमानत को पूर्ण बनाने का निर्देश दिया जाता है।

(पूर्णेन्दु सिंह, जे)

सीएचएन/-

खण्डन (डिस्क्लेमर):- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।